...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीगोपाल वगै. बनाम कानाराम वगै

..9.25

पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी अभिभाषक श्री जयचंदलाल सारस्वत उपस्थित। अप्रार्थी/वादी अभिभाषक श्री राधाकिशन स्वामी उपस्थित।

पत्रावली में प्रार्थी/प्रतिवादी कानाराम वगै. की ओर से दिनांक 11.08.2025 को प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजेन्द्र जाट अंतर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

1. प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवानी दावा श्रीगोपाल आदि वादीगण की तरफ से जरिये मुख्त्यारआम नन्दलाल एवं चम्पादेवी की तरफ से पेश किया हुआ है जिसे वादीगणन ने दिनांक 27.03.2025 को निरस्त करवा दिया है, जिसकी सूचना दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 07.08.2025 को प्रकाशन करवायी जा चुकी है अर्थात् वर्तमान में वादीगण के उपरोक्त दोनों व्यक्ति चम्पा देवी व नन्दलाल मुख्त्यारआम नहीं रहे हैं तथा दावा में वादीगण स्वयं न तो उपस्थित है न ही उनके दावा में हस्ताक्षर अंकित है। दावा स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित्त है। अभिभाषक वादी के पास भी वादीगण की तरफ से वकालतनामा नहीं है। अतः दावा निरस्त फरमाया जावे।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में अभिभाषक अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस किए जाने का कथन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

3. **हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।**

- प्रश्नगत राजस्व वाद अप्रार्थी/वादीगण द्वारा जरिये मुख्त्यारआम चम्पादेवी पत्नी श्रीआसाराम व नन्दलाल पुत्र

आसाराम (वादी संख्या 2) द्वारा दिनांक 09.04.2025 को वाद पत्र 88, 188 आरटीए व धारा 111, 128 व 136 एलआरए के तहत प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से यह वादगत भूमि बाबत वादीगण द्वारा दिनांक 12.08.2021 को श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री आसाराम जाट व वादी संख्या 2 हड़मान पुत्र स्व. श्री नत्थूराम पंवार द्वारा दिनांक 27.03.2025 को श्री नन्दलाल पुत्र श्री आशाराम जाति जाट को मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया था। जिस आधार पर वादीगण की ओर से जरिये मुख्त्याआम वादपत्र प्रस्तुत हुआ। परंतु अभिभाषक प्रतिवादीगण/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 07.08.2025 की प्रति का अध्ययन किया गया जिसमें वादीगण की ओर से आम सूचना इस आशय से प्रकाशित की गयी है कि वादीगण द्वारा वादगत भूमि बाबत नियुक्त मुख्त्यारआम दिनांक 12.08.2021 व दिनांक 27.03.2025 को निरस्त किया जा चुका है।

- अतः विधि की सुस्पष्ट स्थिति है कि मुख्त्यारआम एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति(प्रिंसिपल) की ओर से वित्तीय या कानूनी कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जब प्रिंसीपल की ओर से मुख्ताआम रद्द कर दिया जाता है तो वह मुख्यारनामा निष्क्रिय हो जाता है और मुख्त्यार को प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने का अधिकार नहीं रहता।
- हस्तगत प्रकरण में वादीगण असालतन/वकालतन न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं है तथा वादीगण द्वारा मुख्त्याआम निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में मुख्त्यारआम चंपा देवी पत्नी आसाराम व नन्दलाल पुत्र आशाराम को वादगत भूमि बाबत कानूनी अधिकार नहीं बचता है।
- इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल वादकारण अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थिर नहीं बचता है।

- प्रकरण में प्रार्थी राजेद्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है चूंकि दावा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी अपने हक–अधिकारों बाबत न्यायालय में पृथक से वाद दायर करने हेतु स्वंतत्र है, इस प्रकार इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण जरिए मुख्त्यारआम वादगत भूमि बाबत वाद लाने हेतु कानूनी अधिकार व वादकारण स्थिर नहीं रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)